भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

ओ0	57	(क)
0.5	7 (a)

केवल मूल प्रति में मॉग कीजिए INDENT IN ORIGINAL ONLY

मांग पत्र सं0 INDENT No. तारीख DATED

''प्रतिबंधित'' मानचित्रों के लिए मांग पत्र INDENT FOR "RESTRICTED" MAPS

नोट :- "प्रतिबंधित" मानचित्र सामान्यतः केवल सरकारी अधिकारियों या स्थानीय प्रशासकीय संस्थाओं के अधिकारियों को सरकारी कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर दिये जायेंगे। मांगपत्र छठवें पृष्ठ पर पैरा 9 में उल्लिखित अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। सैनिक संगठनों की मांग के लिए कृपया छठवें पृष्ठ पर पैरा 10 में लिखी हिदायतों को देखिए।

NOTE: "Restricted" maps will, normally, be issued only to Govt. officials and those of local administrative bodies when required by them for official work. Indents should be sent to the officer mentioned in para 9 on page 6. For indents from military formations, please see instructions contained in para 10 on page 6.

	मनचित्रों का विवरण शीट सं0 आदि जैसा पुरा	मनचित्रों का	मांगी गई प्रतियों	मानचित्र किस पते पर भेजे जाने हैं ?
al	मनाचत्रा का विवरण शाट संध आदि जसा पूरा विवरण दिया जाना चाहिए	मनायत्रा का पैमाना	नागा गइ प्रातया की संख्या	
u	DESCRIPTION OF MAPS	Scale of	Number of	ADDRESS to which the maps are to be
	Full details such as sheet numbers,		copies	despatched
	etc., should be given	maps	required	
			requires	
				प्रेषण का तरीका MODE OF DESPATCH :
				* डाक / यात्री / मालगाडी द्वारा भेजिये
				* DESPATCH BY POST/RAIL PASSENGER/
				GOODS
				* भुगतान का तरीका * MODE OF PAYMENT :
				खाते नामे डाल कर समायोजित Adjust by
				Book Debit
				नकद भुगतान Cash payment
				डिमॉड ड्राफ्ट द्वारा Demand Draft
				कैश बिल सहित भेजिए Send with a cash bill
				* जो लागू न हो उसे काट दीजिए
				*Strike out alternatives which do not apply.
				मांग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of
				Indenting officer
				पद Designation
				स्थान Place
				तारीख Date
				अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर
				Countersigned by the approving
				authority #
				नाम Name
	टिप्पणी :– क्रमानुसार आवश्यक अतिरिक्त मानचित्र			पद Designation
	N.B. Attach list of extra maps requ	ired in serial or	rder.	
Ī	# ''प्रतिबंधित'' मानचित्रों के मांग—पत्रों पर प्रतिहर	स्ताक्षर करने के लिए	र अधिकृत अधिकारियों	
	की सूची नीचे अनुच्छेद 1 में दी गई है। चौथे व	भौर पॉचवे पृष्ठ के	अनुसार उचित रूप से	
	प्रमाण-पत्र भर कर मांग अधिकारी द्वारा उस पर ह	(कार्यालय की मुहर) (Stamp of office)		
	# A list of officials authorized to cou			
	maps is given in para 1 below. The cer	स्थान Place तारीख Date		
	also be duly completed and signed by the	e indenting office	cer.	

1. सरकारी काम के लिए अपने नियंत्रण के अधीन कार्यालयों और अधीन अधिकारियों के लिए आवश्यक "प्रतिबंधित" मानचित्रों के मांग—पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत सिविल सरकारी अधिकारियों की सूची ।

LIST OF CIVIL GOVERNMENT OFFICERS AUTHORISED TO COUNTERSIGN INDENT FOR "RESTRICTED" MAPS WHEN REQUIRED BY OFFICES AND OFFICERS UNDER THEIR CONTROL FOR THE EXECUTION OF THEIR OFFICIAL DUTIES.

- (I) भारत सरकार के अवर सचिव पद के तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी । All officers of the rank of Under Secretaries to the Government of India and above.
- (II) भारत सरकार के संबंद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन पब्लिक सेक्टर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष । Heads and Deputy Heads of attached, subordinate Departments of the Government of India and Public Sector Units under Central & State Govt.
- (III) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के उपनिदेशक तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी । Deputy Directors and above of the Survey of India.

(IV) राज्य सरकारों के उप सचिव के पद के अधिकारी तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी, उनसे संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्ष तथा अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों के अध्यक्ष शामिल हैं।

All officers of the rank of Deputy Secretary to State Governments and above, including Heads of their attached, subordinate Departments and Public Sector Units under them.

(V) भारत के सिविल प्रभागों और जिलों के प्रभारी किमश्नर और उप किमश्नर और कलक्टर ।
Commissioners and Deputy Commissioners and Collectors-in-charge of Civil Divisions and Districts in India.

(VI) विदेशों में भारत सरकार के सभी राजनयिक प्रतिनिधि । All diplomatic representatives of the Govt. of India abroad.

(VII) भारत के सभी राज्यों के पुलिस उप किमश्नर ।
Deputy Commissioners of Police of all State Govt. of Indian Territory.

(VIII) राज्य सरकारों के हेडक्वाटरों के सहायक महानिरीक्षक पुलिस ।
Assistant Inspector General of Police at Headquarters of state Govternments.

(IX) खुफिया पुलिस विभाग और या राज्य सरकार के गुप्तवार्ता शाखा के उप महानिरीक्षक पुलिस ।

Deputy Inspector-General of Police, Criminal Investigation Department and/or Intelligence Branch of State Governments.

(X) भारत के सभी राज्यों के अरण्यपाल, उनके सर्किल के प्रतिबन्धित मानचित्रों के लिये ।
Conservators of forests, of all States of Indian Territory, in respect of restricted maps of their Circles.

सूची में अंकित वे अधिकारी जिन्हें प्रतिबन्धित मानचित्रों के मांग–पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने का भार सौपा गया हो जब कि वे उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सरकारी काम के लिये मांगे गये हो ।

List of officers to whom powers have been delegated to countersign indents for Restricted maps when required by officers under their control for execution of their official duties.

- (क) मुख्य / उप जल सर्वेक्षक और भारत के मुख्य सहायक सिविल जलसर्वेक्षक अधिकारी, देहरादून ।

 The Chief/Deputy Hydrographer and the Asst. Chief Civil Hydrographic Officer, Govt. of India, Dehra Dun.
- (ख) राज्य सरकारों के सभी अधीक्षक अभियन्ता ।
 All Superintending Engineers of State Govt. Department.
- (ग) निदेशक, भारतीय दूतावास, नेपाल, काठमाडू ।
 Director, Indian Aid Mission, Nepal, Katmandu.
- (घ) सभी निदेशक / उप निदेशक या उप महानिदेशक, पैरा मिलिट्री फोर्स जैसे; सी.आर.पी, आई.टी.बी.पी, सी.आई.एस.एफ, आसाम राइफल्स, बी. एस.एफ और एस.एस.बी ।
 All Directors/Deputy Directors or Deputy Inspector Generals of Paramilitary Forces i.e. CRPF, ITBP, CISF, Assam Rifles, BSF and SSB.
- (च) कें 0 लो 0 नि 0 वि 0 के सभी अधीक्षक अभियन्ता ।
 All Superintending Engineers in C.P.W.D.
- (छ) संघ लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव से नीचे के अधिकारी न हो ।
 Officers not below the rank of Under Secretary to the Union Public Service Commission.
- (ज) मुख्य /उप चुनाव आयुक्त, सचिव, व अवर सचिव, चुनाव आयोग ।
 Chief/ Deputy Election Commissioner, Secretary and Under Secretaries Election Commission.
- (झ) सर्वोच्च न्यायालय के पंजीकार व उप पंजीकार । Registrar and Deputy Registrar of Supreme Court of India.
- (ट) राष्ट्रपति के सैनिक सचिव / उप सैनिक सचिव और अवर सचिव । Military Secretary/Deputy Military Secretary and Under Secretary to the President.
- (ठ) प्रधान मंत्री के मुख्य व्यक्तिगत सचिव और (प्रशासकीय, सार्वजनिक, निजी) व्यक्तिगत सचिव ।
 Principal Private Secretary and Private Secretaries (Admn. Public Personal) to the Prime Minister.
- (ड) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और सहायक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (व्यक्तिगत) ।
 Accountant General Central Revenues and the Assistant Comptroller and Auditor General (Personal).

- (ढ) मानचित्र उत्पादन प्रखण्ड, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के निदेशक / अधीक्षों भूविज्ञानी प्रभारी ।

 Directors/Superintending Geologist- In-Charge of the Map Production Division, Geological Survey of India.
- (त) उच्च एवं उप शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय ।

 Deputy Educational Advisors and above, Ministry of Education.
- (थ) भूगर्भ के निदेशक, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ।
 Director of Geology, Oil & Natural Gas Corporation (ONGC).
- (द) प्रधान खण्ड, परमाणु शक्ति स्थापना, ट्रोम्बे, इसरो और आई.आई.आर.एस ।
 Divisional Head, Atomic Energy Establishment, Tromby, ISRO and IIRS.
- (घ) उच्च एवं सहायक पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता । Assistant Librarian and above, National Library, Kolkata.
- (न) वरिष्ठ विशेषज्ञ, भूमि साधन, योजना आयोग, नई दिल्ली । Senior Specialist, Land Resources, Planning Commission, New Delhi.
- (प) महानिदेशक, एवं सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ।
 Director General and Secretaries, Council of Scientific and Industrial Research.
- (फ) उप कुलपित, सेन्ट्रल और स्टेट यूनिर्वसिटी । Vice Chancellor of Central and State Universities.
- 2. प्रतिबन्धित मानिवत्रों के निर्गम के लिये राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों को अधिभार दिया है कि वे शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिक संस्थानों एवं दूसरे अर्ध—सरकारी संगठनों के वास्तविक कार्यो (स्पष्ट संकेत दें) जिनको रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0—7 (7)/64/डी० (जी० एस0— III) तारीख 25.08.1967 के पैरा 3 में उल्लेख है। यह शर्त अर्ध—सरकारी संगठनों जिनमें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों से सम्बन्धित विभागों/राज्य सरकारों को कुछ नियंत्रण है, पूरा करती है। इन दशाओं में मांग—पत्र पर भारत सरकार के उप सचिव के पद के तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी या सचिव राज्य सरकार के प्रतिहस्ताक्षर होगे।

Powers are delegated to State Governments, concerned Ministries and Departments of the Central Government to authorize the issue of Restricted maps to Educational and Scientific Institutions and to other semi-Government Organisations for bonafide purpose (to be clearly indicated) subject to the conditions laid down in para 3 of the Ministry of Defence letter No.F-7(7)/64/D (GS-III) datd 25.8.1967. The term other semi-Government Organisations would cover those on which the Ministry/Department concerned of the Central Government/State Government has some control. The indents in such cases will be countersigned by an officer of the rank of Deputy Secretary to the Government of India or above or the Secretary to the State Government.

3. प्रतिबन्धित मानचित्रों के निर्गम के लिये व्यक्तिगत व्यक्तियों, संगठनों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों से रक्षा मंत्रालय का स्पष्टी पत्र आना आवश्यक है । इनके मांग पत्रों पर रक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने से पूर्व राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद या इनसे ऊपर के सभी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए ।

Clearance of the Ministry of Defence is essential for the issue of Restricted maps to private individuals, organizations and commercial firms. Indents for these should be countersigned by an officer of the rank of Joint Secretary or above in the State Governments before they are referred to Ministry of Defence for obtaining clearance.

4. व्यक्तियों, वाणिज्यक प्रतिष्ठानों आदि द्वारा भारत की बाहरी सीमा के परे के मानचित्रों के लिये की गई मांग राज्य सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

Demands from individuals, commercial firms, etc. for Restricted maps covering area beyond external boundaries of India should be referred through the State Government to the Ministry of External Affairs.

- 5. भारत स्थित विदेशी दूतावासों / वाणिज्य दूतावासों से "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की मांग भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

 Demands from Foreign Embassies/Consulates in India for "Restricted" maps should be referred to the Ministry of External Affairs, Government of India.
- 6. भारत में आये हुए विदेशी यात्रियों द्वारा ''प्रतिबन्धित'' मानचित्रों की मांग उनके भारत स्थित दूतावासों/वाणिजय दूतावासों द्वारा की जानी चाहिये और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

Demands from Foreign Expeditions to India for "Restricted" maps should be sponsored by their Embassies/Consulates in India and referred to the Ministry of External Affairs, Government of India.

- नोट Note: (i) "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की पूर्ति के मांग-पत्र पर चौथे और पांचवे पृष्ठ पर दिये गये फार्म में एक प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिये ।

 All demands for supply of "Restricted" maps should be accompanied by a certificate in the form given on pages 4 and 5.
 - (ii) मानचित्रों की अभिरक्षा आदि और कोई क्षति हो जाने पर जांच पड़ताल के लिये रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या पी०सी० ७ (७) ६४/डी०(जी० एस०— III) दिनांक ११.09.1965 को प्रक्रिया में लाना चाहिये ।

 The procedure for the safe custody, etc., and for investigation of any loss of maps given in Ministry of Defence letter No.PC.7(7)/64 D.(GS-III) dated 11.9.1965 invariably be followed.
 - (iii) "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की अभिरक्षा का वार्षिक प्रमाण-पत्र मांगकर्ता द्वारा 31 दिसम्बर को, छपे हुये फार्म पर, प्रस्तुत किया जाना चाहिए । The annual certificate of safe custody of "Restricted" maps should be furnished on 31st December by the indentor on the prescribed form.

नोट :- यह प्रमाण-पत्र मांग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुहर सिहत पूर्ण होना चाहिए ताकि इन मानचित्रों की जिम्मेदारी उन पर रहे ।

Note:- This certificate should be duly completed in all respects and signed by the indenting officer over his office stamp, as the responsibility for these maps lies under him.

प्रमाण-पत्र 'अ' CERTIFICATE 'A'

0.TO	मुझे									निम्नलिरि पालन करने				मानचित्र	निम्नलिखित	शत	र्ग के
अधीन—–	I, _									पालन करन ale to m						(of the
under	menti	oned "R	Restric	ted" m	aps/she	ets is s	ubject	t to follo	owing	g conditi	ions	which I	here	by unde	ertake obsei	ve.	
(i)	The	sheets	will b	e treat	ted as v	very co	nfide	ntial an	ďΙw		eve	ry reaso	onabl	e precai	ा उन्हें देख सबे ution to pre		their
(ii)	सुरक्षा उपबन् प्रयोग पर मैं I un offic to e Act, fully the	की सांवध् ध सरकारी और इनव अपने आप nderstan ce unde ndanger , 1923. y unders informa	ग्रामी न ज् ा गोपनीय ही सूचना प्रको न व d that r Gove the sa I hav stand to self to	खने पर गता अधि संचार व नेवल स्वेच the Re ernmer afety o e care the dut ontaine crimin	में दोषी हैं नेयम 192 यवस्था के छा से वर estricte at and in f the m fully re y impo ed in th al liabi	हूँगा जो 23 के अंत प्रति जो न साधारण d maps n the ev nap, I sh ead and seed upon le said 1	कि इस गंगत हैं गोपनीय ग असाव s/shee vent o nall be on me map e t only	ा नियम के पढ़ लिया मुझे सें । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	अधीन है और पर भी been ilure of an the o Act, d in c	5 (1) (डी) र समझ गरे है उसे मैं मैं अपने अ entrust to take r offence ther pro in respe) के या हूँ पूरी त numb ed i easc e un ovisi ect o ce to	सरकारी गें और इस तरह समझत न्यायाधिक onable c der Sect ons of t of the cu	ोपनीयत् िनयम् ता हूँ। रण के dence are o tion : the C ustod have	ता अधिनिय । के अंतर्गत मैने यह स समक्ष प्रस्तृ e to me of, or so 5 (1)(d) Official S y, use an also und	ये है और मानि म 1923 में अंदि त इन मानचित्रे मझ लिया है वि द्वा कर दूंगा । by a perso conducting of the Offic Secret Act, nd commun derstood th ut also on a	केत है ं की उ ज अपरा on ho mys cial S 1923 nicati	मैन जो अभिरक्षा, धी होने elf as Secret 3 and on of vould
(iii)	लिए No is n	आवश्यक sheet w	हो और i ill be i y to do	इसकी प्रा reprod o so fo	तेलिप्याधि uced in r officia	कार की 3 part, o al purpe	भाज्ञा मह r in w oses a	डासर्वेक्षक भ /hole, ei and the	गारत से ither l requi	प्राप्त कर by photo	ली हे ograj	ो : phy or b	y an	y other	च्ह सरकारी means exce ith the Cop	pt w	hen it
(iv)	भारती दिसम् मद (I w thes issu 31 st	ोय सर्वेक्षण बर को प्रि (vi) में नी ill main se phys ne)/Chie	ा विभाग- तेवर्ष भेजृ ोचे दिये itain a ically, if Secreber ev	्गा जो वि गये है । prope I wil etary to very ye	r record l furni the G ar to th	(निर्गम व धत मानचि d of all ish an overnm ne effec	का स्था । the 1 annua nent o	न) / मुख्य दिये गये i restricte al certi f t all res	सचिव है उनर्क d ma ficate tricted	वस्तुगत ps issue to the	पड़ता ed to Su issue	ल कर ली o me and rvey of (Named to me	– (राज् गई है d und Ind e of e hav	ज्य का नाग इनके बारे dertake ia State/Ui ve been	मैं एक वार्षिव म/संघ क्षेत्र) र में जो क्षति हो to periodic nion Territo physically	नरकार उनके ally d (plad	को 31 अनुदेश check ce of
(v)	सचिव काम कि नष्ट I re the Stat do s I a	च ———— के लिये च * मुख्य स करने के वि equire th same v te/Union so in the lso/undo	चिव———लेये वापि लेये वापि e shee when n Terri e mear ertake n Terri	- (राज्य में उसी स स कर दृ et/s for done v itory)/s time I to re itory)/	का नाम मय मानी — (राज गा । मैं इ about with to Survey will re turn to *Surve	/ संघ क्षे चेत्र / चित्र य का नाम इन्हें वापिस o the C of Indi turn the o the * y of Ind	त्र) सरव त्रों को वि म /संघ म करने Chief a at _ e shee 'Chief dia fo	कार / भ निदेशक, ख् म क्षेत्र) सर पर मानचि month: Secreta et/s to th f Secre or destru	ारतीय बुफिया कार / त्रों की s/year ry to ne Dir tary	सर्वेक्षण विभ **भारतीय कीमत की rs/perma the Go ——— rector of to the	नाग— उनके य सर्वेश मांग anen over (Pla Mi) Gov	प्रतिनिधि क्षण विभाग नहीं करूंग tly from nment ace of is litary In vernmen which b	को वा को ज ा n the of ssue). tellig	— (निर्गम् पेस कर दूं ो मानचित्र date of If, hov gence or ————————————————————————————————————	काम पूरा हें का स्थान) या गा । मैं यह भी बेकार या फट issue and v wever, calle their repre viceable dom.	दे कर्भ वचन गये हैं will r (nan ed up senta (Nan	ो किसी देता हूँ उनको return ne of oon to tives. ne of
(vi)	सचिव का न हूँ कि हो ज	ा——— गम ∕ संघ प्रतिबन्धित	(र क्षेत्र) सर त मानचि कानूनी र	राज्य का रकार औ त्रों की क्ष रूप से इर	नाम / रः र भारतीय ति राजर्क तकी शीघ्र	ांघ क्षेत्र) र सर्वेक्षण वि गेय गोपनी सूचना दे	सरकार वेभाग व ाय अधि ने को ब	/ नजदी को जॉच प नियम के ३ बाध्य हूँ ।	क की ड़ताल अन्तर्गत	पुलिस की के लिये औ एक अपरा	चौकी रि इस् ध होग्	ं ****और ाकी रिपोर्ट गा और उप	मुख्य रक्षा म् परोक्त	सचिव *** ांत्रालय को मानचित्रों व	(नाम) *** ** करूगा । मैं य के खो जाने के प्रफल होने पर	 ह भी विषय	—(राज्य समझता में ज्ञात
*	मानचित्र	ों के निर्गम	के लिये	अधिकारी	 राज्य सरक	गर / संघ	। क्षेत्र द्वा		! है ।								
**		naps, th ों के निर्गम					•		rs of t	he State	Go	vt./Unio	on Te	rritory.			
***	For r	naps, th	e issu	e of wh	nich is a	authoriz	zed by		rs of t	he Cent	ral (Governn	nent.				
	In th	सरकार व e case o	f Cent	ral Go	vernme	ent Offi											
****		सरकार व उ e case c					es.										
****		त मांगकर्ताः															

In the case of private indentors.

	Department/Ministry*** (N	ame)/Chief Secretary to the Government of *****						
	(Name of State)/Union	Territory/nearest Police Station						
	and the Chief Secretary to the Government of							
(vii)	में यह भी वचन देता हूँ कि मानचित्र / चित्रों को बिना रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमित के विदेशों को निर्यात नहीं करूंगा जैसा कि वित्त मंत्रालय के अधिनियम 118 सी.यू.एस./एफसंख्या 215/62 सी.यू.एस I/VIII दिनांक 4-5-63 में अनुदेश है। I also undertake not to export map/s abroad without the prior approval of the Ministry of Defence and in							
	62-CUS-I/VIII dated 4.5.63.	inistry of Finance Notifications No.118-CUS-F No.215-						
	मानचित्र का शीर्षक और शीट सं. Title of map and Sheet No							
	खान Place	हस्ताक्षर Signature						
	दिनांक Date	पता Address						
	प्रमाण-पत्र 'ब' CERT	IFICATE 'B'						
(То	(इसके अतिरिक्त ये शिक्षण / वैज्ञानिक संस्थाओं और दूस be completed by Educational/Scientific Institutions an मैं————————————————————————————————————	-						
दिनांक 25	.08.67 में है] स्वीकार करता हूँ और प्रमाणित करता हूँ कि: –							
[vide M	I, (Name linistry of Defence letter No.F-7(7)/64/D (GS III) 25.8	e in block letters) also agree to the following conditions .67] and certify that:-						
(i)	मानचित्र (प्रयोजन बतायें)————————————————————————————————————	चाहिये।						
	The maps are required for (state purpose)							
(ii)	मानचित्र गोपनीय समझे जायेंगे और उनको क्षति से रोकने के लिये हर एक सावधानी रखनी होगी । The maps will be treated as confidential and will take every precaution to prevent their being lost.							
(iii)	मानचित्र संस्था या संगठन के उच्च पदाधिकारी के दायित्व में सुरक्षा में रखे जायेंगे और समय समय पर उनकी भौतिक जॉच की जायेगी । यह अधिकारी यह भी विश्वास दिलायेगा कि ये मानचित्र किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा देखे या प्रयोग नहीं किये गये । The maps will be kept by a responsible officer designated by the Head of the Institution or Organization							
	concerned in safe custody and physically checked fro							
	This officer will also ensure that the maps are not see	n or handled by unauthorized persons.						
(iv)	संस्था/विश्व-विद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय संगठन का अधिकारी हों और जब आवश्यकता न रहे तो इन्हें संस्था /विश्वविद्यालय/महाविद्यालय Maps, when required by excursion parties, are given i	in charge of the leader (normally to be an Indian lege/School Organization) who will be responsible for n back to the Institute/University/College/School						
(v)		८. समय मानचित्रों की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होगे और वे सुनिश्चित करेंगे						
		hool Organization will be responsible at all times for the re being duly observed.						
	स्थान Place	हस्ताक्षर Signature						
	दिनांक Date	पता Address						
नोट :-	उत्तरदायी है जिनको कि देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकृत किया है	पत्र प्राप्त करने और प्रयोग होने के बाद इनके वापिस मंगाने व नष्ट करने के लिये । जहाँ पर सक्षम प्रतिहस्ताक्षर प्राधिकारी राज्य सरकार या राज्य सरकार के उच्च एत्र वापिस मांगने व नष्ट करने का दायित्व मुख्य सचिव राज्य /संघ क्षेत्र को सौंपा						
NOTE:	for recall and destruction of restricted maps after use] cases where the competent countersigning authority is	e for obtaining the annual certificate of safe custody and for all issues authorized by the Central Government. In an officer of the State Government or the Head of State ining the annual certificate and for recall and destruction retary of State/Union Territory concerned.						
***	 केन्द्रीय सरकार व उसके अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में ।							
	In the case of Central Government Offices.							
****	राज्य सरकार व उसके अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में ।							

In the case of State Government Offices. ***** व्यक्तिगत मांगकर्ताओं के मामले में । In the case of private indentors. 7. "प्रतिबन्धित" मानचित्रों की सुरक्षित अभिरक्षा का वार्षिक प्रमाण-पत्र ANNUAL CERTIFICATE OF SAFE CUSTODY OF "RESTRICTED" MAPS (प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए) (To be submitted by 31st December every year)

मानचित्र निर्गम कार्यालय	बीजक संख्या और तारीख	मनचित्रों का ब्यौरा	प्रतियों की संख्या	कैफ़ियत					
Map Issue Office	Invoice No. & Date	Details of maps	No. of copies	Remarks					
उनकी सुरक्षा के लिए सावधानी बरती जाए ।									
Certified that the "Restricted" maps detailed above have been checked and are in safe custody. Proper									
precautions for their security are being ensured by me.									
स्थान Placeदिनांक Dateमानचित्र रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Officer retaining maps									
The control of the officer retaining maps									
0 "	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 								
8. "प्रतिबन्धित" से उच्च कोटि के मानचित्रों की सभी मागें रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए । All demands for maps of categories higher than "Restricted" should be referred to the Ministry of Defence,									
All demands Io	or maps of categories nig	ner man Restricted s	snoula de referrea to ti	ne ministry of Defence,					

मानचित्र निर्गम कार्यालय MAP SUPPLY OFFICE

9. सभी प्रतिबन्धित मानचित्र मांग पत्र निम्नलिखित को भेजे जाने चाहिए :For all Restricted Maps indents should be addressed as follows:-

Government of India.

निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हाथीबडकला एस्टेट, कैण्ट रोड, देहरादून— 248001 (उत्तराखण्ड) फोन— 0135 — 2749793,

Director, Map Archive & Dissemination Centre, Survey of India, Hathibarkala Estate, New Cantt. Road, Dehra Dun - 248001 (Uttarakhand) Ph. 0135-2749793.

10. सैनिक संगठन और यूनिटों को "प्रतिबंधित" के अन्तर्गत वर्गीकृत मानचित्रों सहित सभी मानचित्रों के मांग-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आई०ए०ओ० 128/67 और ऐसे ही प्रकाशित क्रमिक सेना आदेशों और अनुदेशों को देखना चाहिए ।

Military formations and units should refer to I.A.O. 128/67 and to such subsequent Army Orders or instructions as may be published before submitting indents for all maps, including those classified as "Restricted".